(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4492–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–2013 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 56/अपील/2012–13.

1– श्रीमती सरजू बाई पत्नी स्व. वंशीलाल
2– सीताराम गोहिया आत्मज स्व. वंशीलाल
निवासीगण वार्ड क0 15 मालाखेडी
तहसील व जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती प्रेमबाई पत्नी स्व. रामकिशन
2– अशोक कुमार आत्मज स्व. रामकिशन
निवासीगण मालाखेडी
तहसील व जिला होशंगाबाद
3– श्रीमती गोपेश्वरी पुत्री स्व. रामकिशन
पत्नी रामकिशोर निवासी रसूलिया होशंगाबाद
4– श्रीमती अंजुलता पुत्री स्व. रामकिशन
पत्नी प्रकाश मेहरा निवासी गोविंदपुरा भोपाल
5– श्रीमती कृष्णा बाई पुत्री स्व. रामकिशन
पत्नी केशव कोटवार निवासी सोनखेडी
सिवनी मालवा .....अनावेदकगण

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिलीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1, 2, 5

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 14/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा मालाखेडी स्थित सर्वे कमांक 446/1, 446/3 एवं 527/2 कुल रकबा 6.81 एकड़ तथा मौजा डोंगरी स्थित सर्वे

कमांक 12 एवं 16 रकबा 4.62 एकड़ भूमि रामकिशन एवं अशोक कुमार के नाम से सेवाभूमि के रूप में दर्ज थी । उक्त भूमि का भूमिस्वामी घोषित करने हेतु कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–8–2001 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, भोपाल एवं होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–11–2011 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया कि वर्ष 1914–15 लगायत 1973 एवं मिसल बन्दोबस्त आदि की पूर्ण प्रतियों का अवलोकन कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा दिनांक 12–8–2002 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 अशोक कुमार एवं उसके पिता रामकिशन को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–9–2013 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 के पिता द्वारा मुकुन्दी लाल के वारिसान को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना जानकारी दिये आदेश दिनांक 12–8–2002 पारित कराया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) वर्ष 1952–53 से लेकर वष 1974–75 तक आवेदकगण के पूर्वज वंशीलाल ग्राम नौकर की हैसियत से राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा है और कास्त करता रहा है । वंशीलाल स्व. मुकुन्दी लाल मेहर का पुत्र एवं स्व. रामकिशन के भाई थे, इस तथ्य को छिपाकर, कलेक्टर से जो आदेश पारित कराया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदकगण के पूर्वज स्व. वंशीलाल द्वारा 3 गुना लगान निरन्तर भरा गया है, इसलिए वह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी हो गया था ।

(4) ग्राम डोंगरी स्थित सर्वे नम्बर 12 एवं 16 रकबा 4.46 एकड़ भूमि आवेदकगण तथा अनावेदकगण के पूर्वजों की नहीं होने से इस बावत दी गई जानकारी, कि पूर्वजों की भूमि है, कपटपूर्वक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदकगण द्वारा कपटपूर्ण जानकारी देकर आदेश पारित कराया गया है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 2, 3 एवं 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा विधिवत तहसील न्यायालय से जांच कराई गई है और जांच के समय सभी पक्षों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा रामकिशन एवं अशोक कुमार को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) रामकिशन को उक्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, जो कि पूर्व मालगुजार सेठ नन्हे लाल आत्मज डालचंद ने माफी खिदमती के रूप में प्रदान की थी ।

(3) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का मालिक रामकिशन को घोषित किया गया है । वर्तमान में भूमि की कीमत बढ़ने से आवेदकगण के मन में लालच आ गया है, इसलिए उनके द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की जा रही है ।

(5) पूर्व में अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक पक्ष में आदेश पारित किया गया था, जिसके पालन में कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु कोटवार को दी गई सेवा भूमि के सम्बन्ध में है, इसलिए प्रकरण में शासन एक महत्वपूर्ण पक्षकार है, अतः शासन पक्ष को सुना जाना आवश्यक है । आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित अपील में शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि कलेक्टर के समक्ष शासन अनावेदक के रूप में पक्षकार रहा है । आयुक्त द्वारा शासन को पक्षकार नहीं बनाये जाने से शासन पक्ष को

सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है, जबकि शासन पक्ष को सुना जाकर, उस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह शासन को भी पक्षकार बनाकर, उसे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसंगत आदेश पारित करें । उभय पक्ष को भी आयुक्त के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध होगा, जहां वे इस न्यायालय के समक्ष लिखित तर्क में जो आधार उठाये गये हैं, उनको आयुक्त के समक्ष उठा सकते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण आयुक्त को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर